शिवलाल पी.ए. कलक्ट्री अधिकारी

[illegible]

उपपत्ति के वकील अप. पत्रावली वास्ते बहस रिलेज 16/7/19 को पेश हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

16/7/19 उपपत्ति के वकील अप. बहस को बजाय चार - पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/8/19 को पेश हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

27/8/19

उपपत्ति के वकील अप. रिहलाइस बीमार होने से गैर हाजिर है, रिलेज 4/10/19 को पेश हो।

4/10/19 अतावी वकील अप. सानी वकील व सानी कोई अप. नहीं। सानी वकील व सानी को कई बार आवाज रिकार्ड कार्ड अप. नहीं आये। अन्तिम आवाज साथ पकड़े रिकार्ड वापिस। अतः पत्रावली अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। डिक्री की कोई सार्थक बहस अदालत को किया जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)